"छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध"

CH. SURESH SINGH MAHA VIDYALAYA

RATANPUR, GADHIYA ATSU, AJEETMAL
AURAIYA (U.P.)

LEARN TO SERVE INDIA

CH.S.S.M.V.
विद्या सर्वस्व भूषणम्

Prospectus

विवरण पुस्तिका

प्रबन्धक

चौ. सुरेश सिंह यादव

चौ0 सुरेश सिंह महाविद्यालय

रतनपुर गढ़िया पो0 अटसू, ब्लाक अजीतमल जिला औरैया (उ0प्र0)

स्थिति :

चौ0 सुरेश सिंह महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (NH-19) से 10 किमी0 उत्तर की तरफ अजीतमल से अटसू-अछल्दा मार्ग पर ग्राम रतनपुर गढ़िया पो0 अटसू ब्लाक अजीतमल जिला औरैया (उ0प्र0) में स्थित है। महाविद्यालय फफूँद रेलवे स्टेशन से 26 किमी0 दक्षिण की ओर दिबियापुर-फफूँद से अटसू-अछल्दा मार्ग पर स्थित है। महाविद्यालय औरैया शहर से 30 किमी0 पश्चिम-उत्तर की तरफ औरैया शहर से अजीतमल-अटसू-अछल्दा मार्ग पर स्थित है। महाविद्यालय में आने जाने के लिये बस एवं टैक्सी सेवा हर समय उपलब्ध है।

संक्षिप्त इतिहास :

चौ0 सुरेश सिंह जी यादव महान व्यक्तित्व के धनी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले ग्राम नगलाभोज बल्लापुर, औरैया निवासी है। जिनके नाम से महाविद्यालय की स्थापना की गई है। उन्हीं की प्रेरणा एवं सानिध्य में उनके पुत्रों ने ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए महानगरों एवं नगरों की तर्ज पर उच्च गुणवत्ता पूर्ण, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण अंचल में चौ0 सुरेश सिंह महाविद्यालय के माध्यम से प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया है।

महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2013-14 में की गई है। वर्ष 2014-15 महाविद्यालय में (बी.ए., बी.एस.सी. एवं डी.एल.एड., बी.टी.सी.) कोर्स संचालित है। महाविद्यालय के पास विशाल क्रीड़ा क्षेत्र, भव्य भवन एवं सुविकसित प्रयोग शालायें है। उक्त संस्था के तीन इण्टरमीडिएट कालेज विवेकानन्द इ.का. बल्लापुर, श्रीमती उर्मिला देवी इ.का. बेलाझार, संत विवेकानन्द इ.का. मुरादगंज एवं डी.एल.एड., बी.टी.सी. कालेज श्रीमती उर्मिला देवी शिक्षा प्रसार संस्थान, बल्लापुर ग्रामीण अंचल के ख्याति प्राप्त कालेज है। संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि ऐसी पौध तैयार करना है जिसके विधार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, अध्यापक, वैज्ञानिक आदि रूपों में देश को अपनी सेवा प्रदान कर सकें।

प्रबन्ध निदेशक (M.D.) उद्‌बोधन :

प्रिय प्रवेशार्थी मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप ज्ञानार्जन कर उत्तम नागरिक बनने की अभिलाषा लेकर इस शिक्षण संस्थान में प्रवेशित हुए है। महाविद्यालय एक पवित्र ज्ञान स्थली है जहाँ निरन्तर उद्‌देश्य पूर्ण परिश्रम से आप सुखद व सफल भविष्य का निर्माण कर सकते है। इसी के अनुरूप चौ. सुरेश सिंह महाविद्यालय का उद्‌देश्य छात्र/छात्राओं के मानसिक शारीरिक आत्मिक, चरित्रिक आदि व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना है, छात्र/छात्राओं को शिक्षित कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए यह शिक्षा रूपी दीप प्रज्ज्वलित किया गया है। अभी इस संस्था का शैशव काल है किन्तु इसके विकास की अनन्त सम्भावनायें है। संस्था संचालित करने जैसे सामाजिक एवं पुनीत कार्य किसी व्यक्ति विशेष से पूर्ण नहीं हो सकते, अत: इसके सतत विकास के लिए समस्त क्षेत्रीय नागरिकों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है वास्तव में शिक्षा ही किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के विकास का आधार है। अत: हम इस महायज्ञ में सहयोग रूपी समिधा की एक आहूति देकर भावी पीढ़ियों का पथ प्रशस्ति करें। यही मेरी कामना है।

शुभेच्छु

होराम सिंह यादव

प्रबन्ध/निदेशक

कालेज भवन प्रयोग शालायें :-

कालेज का ग्रामीण अंचल शांति एवं स्वच्छ वातावरण विद्यार्थियों को स्वत: उच्च शिक्षा तथा सुसंस्कृति एवं सदाचार पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। कालेज भवन में अध्ययन कक्ष, लेक्चर थियेटर तथा प्रायोगिक शिक्षण के लिए भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान एवं भूगोल विषय की आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित विशाल प्रयोगशालायें रखता है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :-

समस्त विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकों से परिपूर्ण एवं बुक बैंक की सुविधा से सम्पन्न है जिसमें आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष परिवर्तन किया जाता है। विभिन्न विषयों के नवीनतम ज्ञान के लिए वाचनालय में शोध पत्रिकाएं उच्च स्तरीय विषयों से सम्बन्धित पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाती है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों को पुस्तकालय से यथा सम्भव पुस्तकों का पूरा सेट वर्ष भर अध्ययन के लिए दिया जाता है।

प्रवेश के नियम

(Rules of Admission)

कला/विज्ञान संकाय

1. संस्थागत छात्र के रूप में किसी भी छात्र/छात्रा को महाविद्यालय से स्नातक कक्षाओं में तीन वर्ष से अधिक समय तक अध्ययन करते रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. किसी भी अभ्यार्थी को जिसके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं अथवा जो आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता है, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अभ्यार्थी को प्रवेश देने अथवा न देने का पूर्ण अधिकार होगा एवं प्राचार्य के हस्ताक्षर के बाद ही प्रवेश शुल्क जमा होगा।
4. सभी कक्षाओं के प्रवेश की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है जो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित शैक्षिणिक कार्य योजना में दी गयी है।
5. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेशार्थ पूर्व परीक्षा में छात्र/छात्रा को निम्नलिखित अंक प्राप्त होने चाहिए।

अ. बी.ए. (प्रथम) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक।

6. अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये छात्र/छात्रा को सन्देह का लाभ प्राप्त होने की स्थिति में जब तक अंक तालिका प्राप्त नहीं होगी उनको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

बी.एस.सी गणित एवं जीव विज्ञान :-

1. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यताक्रम में तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार किये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट में 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होना चाहिए।
3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थी महाविद्यालय कार्यालय में प्रवेश फार्म प्राप्त कर आवश्यक संलग्नकों (हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की अंकतालिकायें, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र एन.सी.सी. प्रमाण-पत्र तथा खेलकूद से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र) की फोटो प्रतियां सहित उसे पूर्णरूपेण भरकर कार्यालय में जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।
4. अपूर्ण फार्मों को योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रवेश हेतु अन्तिम सूची सूचना पट पर समय-समय पर प्रकाशित कर दी जायेगी।
6. योग्यता सूची निम्न प्रकार से तैयार की जायेगी।

अ. शैक्षणिक अंक :

क. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंको का शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत)

ख. हाईस्कूल परीक्षा में प्राप्त अंको का पचास-प्रतिशत (50 प्रतिशत)

नोट : यदि अभ्यार्थी द्वारा हाईस्कूल के स्थान पर हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। तो उसके प्राप्त अंको का 50 प्रतिशत गणना हेतु लिया जायेगा।

ब. अतिरिक्त अंक (अधिकतम 15 अंक)

क	स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित)	5 अंक
ख	एन0सी0सी 'बी' सर्टिफिकेट धारक कैडिटों को	7 अंक
ग	एन0सी0सी 'सी' सर्टिफिकेट धारक के कैडिटों को	10 अंक
घ	खेलकूद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यार्थी को	7 अंक
च	खेलकूद में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यार्थी को	10 अंक
ठ	विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त स्थायी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी एवं सगे भाई-बहिन, जो अविवाहित हों, को	15 अंक
ज	विधवा अथवा परित्यक्ता अभ्यर्थिनी को	10 अंक
झ	स्थानीय इण्टर कालेजों के छात्र/छात्राओं को	5 अंक

नोट : 1. किसी भी दशा में अपूर्ण आवेदन फार्म को योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

2. आवेदन फार्म के साथ सभी अंकतालिकाओं एवं प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें।

यूनीफार्म (गणवेश)

बालकों के लिये : सफेद शर्ट, सिलेटी पेन्ट, काले जूते, सफेद मोजे, सिलेटी स्वेटर

बालिकाओं के लिये : सफेद सलवार, सिलेटी कुर्ता, काले जूते, सफेद मोजे, सिलेटी स्वेटर, सिलेटी साड़ी

सभी विद्यार्थियों हेतु निर्देश

1. प्राचार्य को अधिकार है कि वह किसी भी छात्र को बिना कारण बतायें प्रवेश देने से इन्कार कर सकता है तथा किसी योग्य अभ्यार्थी के लिए प्रवेश के नियमों को शिथिल कर सकता है।
2. परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी छात्रों को अथवा पूर्ण परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. अनुशासन हीनता के दोषी छात्रों को सत्र के मध्य में भी महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

4. छात्र/छात्राओं से अभद्र व्यवहार करना, दूसरे छात्र/छात्राओं को अभद्रता के लिए भड़काना, अध्यापकों तथा कालेज कर्मचारियों के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना, किसी छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अव्यवस्था, अराजकता या अनुशासन हीनता के लिए उकसाना, किसी छात्र/छात्रा/शिक्षक/कर्मचारी के साथ मारपीट करना, महाविद्यालय में धूम्रपान करना, मादक पदार्थों का सेवन करके अथवा शस्त्र लेकर महाविद्यालय परिसर में आना आदि कार्य अनुशासन हीनता के अर्न्तगत माने जायेंगे।

5. कालेज की सभी सूचनाएं और निर्देश सूचनापट पर विज्ञापित किये जाते है। अत: विधार्थी को चाहिए कि वे नित्य कालेज आने के तुरन्त बाद और कालेज से जाने के पूर्व नोटिस बोर्ड अवश्य देख लिया करें।

6. साधारणतया सूचनाएं कक्षाओं में प्रसारित नही होती। यदि सूचना पट न देखने के कारण छात्र किसी निर्देश के पालन में अक्षम रहेगा, तो इसका पूरा उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा पर होगा।

7. महाविद्यालय में जो भी शुल्क आदि जाम करें उसकी तुरन्त रसीद ले लें और उसे सुरक्षित रखें। यही सावधानी महाविद्यालय से प्राप्त होने वाले प्रत्येक अभिलेख के सम्बन्ध में रखी जाये।

8. सभी प्रवेशार्थियों को निर्धारित शुल्क एक मुश्त प्रवेश के समय ही जमा करना होगा।

9. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा किसी अन्य छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर प्राचार्य उसकी समुचित जाँच करवाकर अथवा संबन्धित छात्र/छात्रा को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर अथवा जैसा भी प्राचार्य उचित समझें, कार्यवाही कर सकते हैं।

10. विधार्थी अपने सम्बन्ध में ऐसी सूचनायें न दें जो तथ्यों के विपरीत हो ऐसी स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, अथवा दण्ड भी दिया जा सकता है।

11. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों के अनुसार बैक पेपर परीक्षा देने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश अस्थायी आधार पर वि.वि. के निर्देशानुसार अगली कक्षा में होगा। इसके अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं द्वारा पूर्ण शुल्क देय होगा तथा उन्हें छात्रवृत्ति किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि छात्र/छात्रा के अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण अस्थाई प्रवेश रद्द हो जाता है तो उसे महाविद्यालय से कोई भी फीस वापिस नहीं की जायेगी।

12. महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, या अन्य कोई भी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन तीन दिन पूर्व महाविद्यालय कार्यालय में आना चाहिए।

13. यदि अर्ह परीक्षा पास करने तथा प्रवेश के लिए आवेदन करने के मध्य एक वर्ष या अधिक का अंतराल होगा तो ऐसे अभ्यार्थियों को प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।।

14. संस्थागत छात्र/छात्रा को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्न-पत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो महाविद्यालय में नही पढ़ाया जा रहा है।

15. अभ्यार्थी का प्रवेश तभी पूर्ण माना जायेगा जबकि-

(अ) अभ्यार्थी ने सभी आवश्यक देय शुल्क आदि जमा कर दिये है।

(ब) अभ्यार्थी ने स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा अन्तिम शिक्षा संस्थान के प्राचार्य का चरित्र प्रमाण-पत्र जमा कर दिया हो।

16. (अ) वह अपने प्रवेश के संबन्ध में महाविद्यालय से निरन्तर सम्पर्क रखकर सूचना पट पर दी गई सूचनाओं का ज्ञान रखे और निर्धारित अवधि में प्रवेश लें।

(ब) असत्य एवं भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं की है।

17. किसी भी अभ्यार्थी को 15 दिन लगातार महाविद्यालय से अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

18. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

19. कानपुर विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रयोगात्मक परीक्षायें अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक होगी।

20. नियमों के प्रतिकूल लिए गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यार्थी का होगा। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कोई फीस नहीं लौटाई जायेगी।

21. व्यक्तिगत छात्रों को संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

नोट : विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य को किसी भी नियम को शिथिल करने का अधिकार होगा।

कक्षायें : बी.ए./बी.एस.सी./बी.टी.सी.

कला वर्ग (विषय)

1. हिन्दी साहित्य	2. अंग्रेजी साहित्य	3. भूगोल	4. अर्थशास्त्र
5. समाज शास्त्र	6. शिक्षा शास्त्र	7. संस्कृत	

विज्ञान वर्ग (विषय)

1. गणित	2. जन्तु विज्ञान	3. भौतिक विज्ञान
4. वनस्पति विज्ञान	5. रसायन विज्ञान	

शिक्षा संकाय

1. बाल विकास
2. शिक्षा के आधार
3. गणित
4. विज्ञान
5. सामाजिक विषय
6. हिन्दी
7. अंग्रेजी
8. कम्प्यूटर

विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी.ए. के छात्र/छात्राओं के लिए -

1. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को मान्यता प्राप्त सात विषयों मे से कोई तीन विषय चयनित करने है।

2. बी.ए. द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं विषय वही रहेंगे जो प्रथम वर्ष में चयनित थे।

3. बी.ए. तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को बी.ए. द्वितीय वर्ष में चयनित तीन विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन करना है।

बी.एस.सी. छात्र/छात्राओं के लिए -

1. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को नियमानुसार विषय चयनित करना है।

(अ) जीव विज्ञान समूह -

1. वनस्पति विज्ञान 2. जन्तु विज्ञान ३. रसायन विज्ञान

(ब) गणित समूह

1. गणित 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान

2. बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के विषय वही रहेंगे जो प्रथम वर्ष में चयनित थे।

3. बी.एस.सी. तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में चयनित तीन विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन करना है।

उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थियों को किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक विषय की प्रायोगिक तथा सैद्धान्तिक दोनों कक्षाओं में अलग-अलग कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य उपस्थित रहा हो। केवल विशेष को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

2. विद्यार्थियों का कर्तव्य ही नहीं अपितु दायित्व भी है कि वे सम्बन्धित प्राध्यापकों से सम्पर्क रखें और उपस्थिति के विषय में प्रत्येक माह स्वयं जानकारी प्राप्त करें। छात्र को चाहिए कि प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर प्राध्यापक से अपनी उपस्थिति अवश्य ज्ञात कर लें।

रैगिंग – एक दण्डनीय अपराध

कालेज मे अध्ययन कनिष्ठ छात्र/छात्राओं के साथ वरिष्ठ छात्र/छात्राओं द्वारा कालेज प्रांगण में या उसके बाहर रैगिंग करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। कनिष्ठ छात्र/छात्रा प्राचार्य/चीफ प्रोक्टर अथवा किसी भी प्राध्यापक को रैगिंग की सूचना तुरन्त दें। सभी छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को नोटरी का शपथ-पत्र प्रवेश के समय देना होगा जिसमें यह स्पष्ट हो कि मेरा पाल्य रैगिंग मे परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होगा।

रैगिंग का तात्पर्य :-

1. मानसिक प्रताड़ना एवं वेदना देना।
2. अप्रिय या व्यक्तिगत सवाल पूछना।
3. गाने या नाचने के लिए बाध्य करना।
4. पिटाई, धक्का या शारीरिक क्षति पहुँचाना।
5. कनिष्ठ छात्र/छात्राओं में डर या शर्म की भावना जाग्रत करना।
6. जाति अथवा समाज को सम्बोधित करते हुए अशिष्ट भाषा में अभद्र व्यवहार करना।
7. मोबाइल से अश्लील एस.एम.एस. भेजना एवं फोटो खींचना।

दण्ड :- छात्र/छात्रा को रैगिंग में आरोपित पाए जाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थाने मे एफ.आई.आर. एवं अनिवार्य रूप से कालेज से निष्कासन।

रसायन विज्ञान लैब

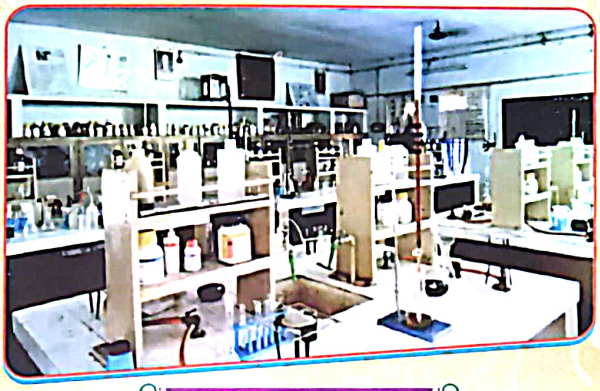

भौतिक विज्ञान लैब